राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3340/2025

नरेश प्रकाश मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, झुंझुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासड़ी (पोषणा) उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं में कार्यरत है। आदेश दिनांक 08.07.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध उप प्राचार्य के पद पर की गई थी तथा अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 09.07.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा सेठ हनुमान प्रसाद सर्राफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धमोरा, झुंझुनूं से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासड़ी, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं में किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.07.2024 को कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण करने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 ने आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी को उप प्राचार्य के पद से प्रधानाचार्य के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की तथा अपीलार्थी को यथावत् पदस्थापित किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 25.01.2025 को प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासड़ी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं में कार्यग्रहण किया (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी स्वीकृत व रिक्त पद पर कार्यरत् है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2025 को कार्यग्रहण करने के बावजूद पदोन्नति/पदस्थापन के आधार पर आलौच्य आदेश के द्वारा 2 माह 22 दिवस की अल्पावधि में ही आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक का 2 वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण करना अवैध व

अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से अपीलार्थी के बिना विकल्प प्रस्तुत किये ही अपीलार्थी का विकल्प मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दहिया, उदयपुर में पदस्थापन किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील सं. 2541/2025 प्रस्तुत की। जिसमें अधिकरण ने आदेश दिनांक 20.05.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा समस्त तथ्यों व आधारों का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये तथा आदेश दिनांक 12.04.2025 पर स्थगन आदेश जारी किया। अपीलार्थी ने आदेश की पालना में प्रत्यर्थीगण को विस्तृत रूप से अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्वयं का पद रिक्त है तथा झुंझुनूं जिले के लगभग 60 पद प्रधानाचार्य के रिक्त है, जिनको काउंसलिंग में दर्शित नहीं किया गया तथा अपीलार्थी ने स्थानान्तरित स्थान हेतु कोई विकल्प भी नहीं दिया तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में करीब 22 माह से कम समय शेष है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी के द्वारा लिखे गये अभ्यावेदन में प्रशासनिक दृष्टि से कोई विचार नहीं किया गया तथा विभाग के परिपत्रों के अनुसार कोई विचार नहीं किया गया। केवल मात्र न्यायालय के आदेशों का मनगढ़ंत तरीके से उल्लेख करते हुए अपीलार्थी के अभ्यावेदन को आलौच्य आदेश दिनांक 06.07.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा निरस्त किया गया है, जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त था (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी ने रिक्त व स्वीकृत पद पर दिनांक 25.01.2025 को प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया। इसीलिए प्रत्यर्थी विभाग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासड़ी, उदयपुरवाटी को रिक्त पदों में प्रधानाचार्य की काउंसलिंग के समय दर्शित नहीं किया तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कभी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दहिया, उदयपुर हेतु काउंसलिंग में विकल्प पत्र नहीं दिया। अपीलार्थी के बिना विकल्प पत्र के आधार पर ही प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रार्थी का विकल्प पत्र मानते हुए प्रार्थी का पदस्थापन आलौच्य आदेश के द्वारा किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 5415/2025 मुकेश कुमार मीणा बनाम माध्यमिक शिक्षा में दिनांक 15.04.2025 (अनुलग्नक–10) द्वारा इसी आधार पर स्थगन आदेश जारी किया है कि प्रार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण कर लिया था तथा स्वीकृत व रिक्त पद पर कार्यरत् है तथा कार्मिक के स्थान पर किसी का भी पदस्थापन नहीं किया गया है। किन्तु पदोन्नति पर पदस्थापन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। माननीय अधिकरण ने भी पूर्व में अपील सं. 1055/2018 विद्याधर शर्मा बनाम माध्यमिक शिक्षा में आदेश दिनांक 05.06.2018 (अनुलग्नक–11) द्वारा स्थगन आदेश जारी करते हुए यह निर्देश जारी किये है कि समस्त रिक्त पदों को शामिल करते हुए काउंसलिंग

की प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए थी तथा प्रार्थी से कनिष्ठ अनेक कार्मिकों को झुंझुनूं जिले में पदस्थापित किया गया है तथा समस्त रिक्त पदों को दर्शित नहीं किया है तथा अपीलार्थी के बिना विकल्प पत्र के आधार पर विकल्प पत्र मानते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है, जो प्रतिबंध आदेशों के विपरीत है तथा अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे अभिकथन है कि एक तरफ एक ही लिस्ट में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदस्थापित कार्मिकों को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया गया, जिसमें सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई तथा जो रिक्त पद दर्शित किये गये थे, उनमें से ही विकल्प पत्र प्राप्त करते हुए आदेश दिनांक 12.04.2025 के द्वारा पदस्थापन किया गया। दूसरी तरफ जिन पदों को रिक्त पदों की सूची में दर्शित नहीं किया था, उन पदों को बाद में अपने चहेते कार्मिकों को उसी पदोन्नति वर्ष में काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों को आदेश दिनांक 25.04.2025 के द्वारा इच्छित स्थानों पर यथावत् पदस्थापित किया गया है तथा अपीलार्थी के प्रकरण में अपीलार्थी का पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी को यथावत् पदस्थापित नहीं किया है तथा ना हीं उक्त तथ्यों पर विचार किया है तथा अपीलार्थी का पद भी रिक्त पदों की सूची में दर्शित नहीं किया है तथा प्रत्यर्थीगण ने विधि विरूद्ध जाकर अपीलार्थी के अभ्यावेदन को मनगढ़ंत तथ्यों का उल्लेख करते हुए निरस्त किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 8387/2025 महीराम बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 24.04.2025 को तथा एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 5445/2025 मुकेश कुमार मीणा बनाम स्कूल शिक्षा में दिनांक 15.04.2025 को समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किया है तथा प्रार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 एवं 06.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासड़ी (पोषणा), उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं में ही पदस्थापित रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि माननीय अधिकरण के समक्ष प्रथम दृष्टया यह वर्णित किया जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को प्रदान किया गया पदस्थापन पूर्णतया ऑनलाईन काउंसलिंग उपरांत किया गया है। प्रधानाचार्य स्कूल शिक्षा के पदोन्नत कार्मिकों के काउंसलिंग में प्रदर्शित की जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण शासन के पत्र दिनांक 27.01.2025 एवं 10.03.2025 के अनुसरण में किया गया है। आवश्यकतानुसार रिक्तियों का निर्धारण विभाग का नीतिगत निर्णय है जो कि स्पष्टया प्रशासनिक तथा छात्रहित के दृष्टिगत लिया गया है तथा इसका संपूर्ण विवेचन आलोच्य आदेश दिनांक 06.07.2025 में भी वर्णित किया गया है। अपीलार्थी प्रधानाचार्य (स्कूल शिक्षा) के पद पर कार्यरत है जो

कि राज्य सेवा का पद है। अपीलार्थी का पदस्थापन प्रशासनिक आवश्यकता में संपूर्ण राज्य में कहीं भी किया जा सकता है तथा अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया पदस्थापन आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही जारी किया गया है। अपीलार्थी को जिस विद्यालय में पदस्थापित किया गया है उक्त विद्यालय के काफी पद रिक्त चल रहे है, ऐसी स्थिति में विद्यालय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपीलार्थी कार्मिक को प्रशासनिक आवश्यकता में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिया, उदयपुर के प्रधानाचार्य के रिक्त चल रहे पद पर पदस्थापित किया गया है (अनुलग्नक–आर/1)। अपीलार्थी कार्मिक राज्य सेवा का पद धारित करता है तथा अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता में राज्यहित/छात्रहित में पदोन्नति उपरांत पदस्थापित किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सिविल अपील संख्या 4975/2009 RAJENDRA SINGH ETC. VS. STATE OF U.P & ORS. ((2009) 15 SCC 178) में पारित आदेश दिनांक 31.07.2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट अभिमत प्रदान किया है कि सरकारी कर्मचारी जो कि स्थानांतरण योग्य पद पर कार्यरत है, को सरकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता में पदस्थापित किया जा सकता है। कोई भी सरकार तब तक कार्य संपादित नहीं कर सकती है जब तक सरकारी कर्मचारी इस बात पर जोर देता है कि उसको इच्छित स्थान पर ही कार्यरत रहने दिया जावे। अतः प्रस्तुत अपील स्पष्टया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अभिमत के विपरीत होने के कारण खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर.1991 एस.सी.532) के निर्णय में भी स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया है कि :–

> "In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer order are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is Liable to be transferred from one place to the other, Transfer orders issued by the compentent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer order is passed in violation of executive instructions or orders, the Courts ordinarily should not interfere with the order instead affected party should approach the higher authorities in the Department- If the Courts continue to interfere with day&to&day transfer orders issued by the Government and itssubordinate authourities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

समान तथ्यों पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 3128/2025 राज्दा सुल्तान खान बनाम सरकार को माननीय अधिकरण के आदेश

दिनांक 21.07.2025 (अनुलग्नक–आर/2) के द्वारा निम्न अभिमत प्रदान करते हुए अस्वीकार/खारिज फरमाया गया है :–

> "पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 13.06.2025 एवं आदेश दिनांक 12.04.2025 को चुनौती दी गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 8927/2025 अमर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य पारित आदेश दिनांक 01.06.2025 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित किया गया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन के संबंध में सभी तथ्यों को समाविष्ट करते हुए आदेश दिनांक 13.06.2025 पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में भी इस आदेश में किसी तरह से हुई अनियमितता के संबंध में कथन नहीं किया है। अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नति के पश्चात काउंसलिंग के जरिये विभागीय नीति के अनुरुप आदेश दिनांक 12.04.2025 द्वारा किया जाना पाया जाता है। अधिकरण को इन प्रकरणों में तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, जब किसी तरह की कार्य अनियमितता या दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही की गई हो, ऐसा इस प्रकरण में प्रकट नहीं हो रहा है।
>
> अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्वारा खारिज की जाती है।"

अपीलार्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति अपील (सिविल) 36717/2017 नम्रता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 तथा माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 3128/2025 राज्दा सुल्तान खान बनाम सरकार में पारित आदेश के अनुसरण में अधिकरण से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–7) द्वारा प्रदान की एवं यथास्थान कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करने पर अपीलार्थी ने दिनांक 25.01.2025 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासड़ी जिला झुन्झुनूं में कार्यग्रहण किया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने राज्य में उन विद्यालयों, जिनमें प्रधानाचार्य का पद रिक्त है एवं विभागीय मानदण्डों एवं छात्रहित के दृष्टिगत प्रधानाचार्य को पदस्थापित करना है। ऐसे विद्यालयों जिनमें काउसंलिंग के माध्यम से नवपदोन्नत प्रधानाचार्य का पदस्थापन किया जाना है, को चिन्हित कर ऑनलाईन काउंसलिंग आयोजित कर विकल्प चाहे गये। वरिष्ठता एवं प्राप्त विकल्पों के दृष्टिगत आदेश दिनांक 12.04.2025 द्वारा पदस्थापन किया गया।

अपीलार्थी का यह कथन है कि जहां उसने पदोन्नति पर यथावत कार्यग्रहण किया उस विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। उसने रिक्त प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया है। झुन्झुनूं जिले में 50 से ज्यादा प्रधानाचार्य के पद रिक्त है। उसका पदस्थापन उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के अनुसार नहीं किया है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2541/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 की

पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आलौच्य आदेश दिनांक 06.07.2025 (अनुलग्नक–4) द्वारा निरस्त किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.04.2025 द्वारा पदोन्नति पर प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन ऑनलाईन काउसंलिंग के माध्यम से वरिष्ठता एवं प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर किया गया है। अपीलार्थी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उससे कनिष्ठ किसी कार्मिक को झुन्झुनूं जिले में पदस्थापित किया गया हो एवं राज्य में किन–किन विद्यालयों में छात्र संख्या, अन्य रिक्त पदों की स्थिति के दृष्टिगत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रधानाचार्य के पदों पर पदस्थापित किया जाना है। यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। इस संबंध में नियोक्ता/प्रत्यर्थी विभाग निर्णय लेने में बेहतर रूप से सक्षम है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है कि जिले में प्रधानाचार्य के सभी रिक्त पदों को काउंसलिंग में दर्शित नहीं किया गया है।

अतः अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य